न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी
पिठासीन अधिकारी :– गजेन्द्र शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 34 / 2024
Gcms No :–2024 / 26

प्रार्थी	वनाम	अप्रार्थीगण
1. रामेश्वर गोदारा पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी भारी नगर, धन्नारी कल्ला तहसील बावडी जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र बिरमाराम जाति राईका निवासी बेदु कल्ला तहसील बापिणी जिला फलौदी। 2. तहसीलदार बापिणी

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री राजुराम चौधरी।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण सख्या :–(1) श्री विक्रमसिंह भाटी।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण सख्या:– (2) राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 03 / 04 / 2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बेदु कल्ला में खसरा नम्बर 34 / 4 रकबा 0.2428 हैक्टेयर की स्थित है तथा प्रार्थी की उक्त खसरे की भूमि से कटाण मार्ग / सडक के खसरा नम्बर 33 / 22 के बिच में पडौसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 01 की खातेदारी भुमि खेत खसरा नम्बर 33 / 15 रकबा 0.4864 हैक्टेयर की आई हुई है। जिसके बाद खसरा नम्बर 33 / 22 गै.मु सडक आयी हुई हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 34 / 4 में आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्यां 01 की खातेदारी में से रास्ता प्रार्थी के नाम की जमीन तक मार्ग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थीगण संख्यां 01 ने रास्ता दिये जाने से इन्कार कर दिया। इसलिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण को भेजे गये समन की डाक रसीद न्यायालय में पेश की। जो शामिल मिसल की गयी। अप्रार्थीगण संख्यां 01 की ओर से अधिवक्ता विक्रमसिंह भाटी ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया जो सामिल मिसल किया जा कर सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर दिया हैं। अप्रार्थीगण ने नोटिस तामिली के बाद जबाब प्रस्तुत किया हैं।

हस्तगत प्रकरण में भु–अभिलेख निरीक्षक मतौडा से मौका जांच रिपोर्ट तलबी के लिए पहले नोटिस दिनांक 29.07.24 को भेजा गया बाद में तेहरीर क्रमाक 1075 दिनांक 08.08.2024 को भेजी गयी। अप्रार्थीगणों को सुनवाई के लिए लम्बा समय एंव प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद जवाव पेश किया गया। और भु–अभिलेख निरीक्षक की तरफ से फर्द मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तथा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2024 के अनुसार प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए खसरा नम्बर 34 / 4 व 33 / 15 के नजरी नक्शें में रास्ता प्रदर्श बिन्दु ए, बी से सी त्रिभुजाकार 20 वर्गमीटर यानि 0.0020 हैक्टेयर की भुमि सिचिंत रोड

Gajendra
सहायक कलेक्टर बापिणी

के पास में बिन्दु ए, बी, सी तक मार्ग वर्तमान में चालु हैं। और इसके अलावा दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के पैरान् को दौहराते हुऐ अपने खेत तक आवागमन के लिए रास्ते की आवश्यकता बताते हुऐ मौका रिपोर्ट का सर्मथन किया। प्रार्थी के आवागमन के लिए निकटतम और लघुतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। मौका रिपोर्ट में उक्त खसरान् में से मार्ग बिन्दु ए, बी, सी पर दिया जाना उचित बताया हैं और वर्तमान मौके पर रास्ता चालु हैं अतेव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। अप्रार्थीगण संख्यां 01 के अधिवक्ता ने अपने जबाब के पैरान् को दौहराते हुऐ प्रार्थी की जमीन रोड पर होना बताया जा कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष अधिवक्ता प्रार्थी ने जिरह बहस में बताया कि अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा रास्ता नहीं होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से रास्ता दिये जाने का आग्रह किया। लेकिन अप्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के लिए सडक से अप्रार्थीगण संख्यां 01 की भूमि में से ही निकटतम रास्ता पड़ता है। प्रार्थी को भूमि में आवागमन के लिए भारी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। तथा मौका रिपोर्ट एंव जबाब सरकार पैरावार से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी को आवागमन के लिए रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से सर्वाधिक निजदीक एंव उपयोगी रहेगा। ओर प्रस्तावित रास्ते के अलावा दुसरा कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता मन्जुर किया जावें।

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस में हुऐ तर्क–वितर्क को ध्यानपूर्वक सुना उन पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अध्ययन एवं रिकार्ड पर आई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन से प्रार्थी को गै.मु सडक खसरा नम्बर 33/22 से प्रार्थी की खतेदारी भुमि खसरा नम्बर 34/4 के बिच में खेत खसरा नम्बर 33/15 में से आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की आत्यधिक आवश्यकता है। तथा मौका जांच भु–अभिलेख निरीक्षक मतौडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 34/4 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 33/22 सडक मार्ग से बिच में अप्रार्थीगण संख्यां 01 के खसरा नम्बर 33/15 में से रकबा 0.0020 हैक्टेयर भुमि सर्वाधिक निकटतम व्यवहारिक रास्ता पाया है। अतेव इस न्यायालय मतानुसार प्रार्थी के आवागमन के लिए रास्ते की जरूरत है। ओर मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2024 एंव जबाब सरकार के मुताबिक प्रस्तावित रास्ता सडक मार्ग से खसरा नम्बर 33/15 में से सर्वाधिक उपयुक्त पाया है ओर प्रार्थी को रास्ता की अति आवश्यकता है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बेदु कल्ला में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भुमि खेत खसरा नम्बर 33/4 में आवागमन के लिए गै.मु सडक खसरा नम्बर 33/22 के बिच में अप्रार्थीगण संख्यां 01 की खातेदारी भुमि खेत खसरा नम्बर 33/15 में से रकबा 0.0020 हैक्टेयर मार्क ए, बी, सी तक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2024 के अनुसार फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शाये मार्क ए, बी, सी, तक लम्बा रास्ता अप्रार्थीगण संख्यां 01 की जमीन में से 0.0020 हैक्टेयर जमीन रास्ते में काम आने वाली भुमि की किमत वर्तमान में प्रचलित डिएलसी राशि की दुगनी राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत कर मार्ग दिया जाने का प्रार्थना पत्र मंजुर किया जाता है। तहसीलदार बापिणी को आदेश दिया जाता है। कि दिनांक 20.09.2024 की

...सेदार बापिणी

फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शाये मार्क ए, बी, सी, बिन्दु तक 30 फीट चौडा मार्ग हेतु रकबा 0.0020 हैक्टेयर जमीन उक्त रास्तें में काट जाने वाले रकबें की डिएलसी राशि की दुगनी राशि प्रार्थी द्वारा अदा कर दिये जाने के पश्चात् अप्रार्थीगण संख्यां 01 के खसरा नम्बर 33/15 में से रकबा कम किया जाकर रास्तें का अंकन राजस्व रेकॉर्ड में राज हक में किया जावें एवं नक्शा में रास्ते की तरमीम की जावें। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2024 इस निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी को निर्णय पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गजेन्द्र शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बापिणी